

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक—.....

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-41/2025-5446/ दिनांक-31.07.2025 को कुर्म टोला, जलालपुर रोड, थाना-जिला कुचायकोट, गोपालगंज में जाँच के क्रम में सैप जवान का इंसास राईफल लेकर एक मोटर साईकिल सवार के भाग जाने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर नियंत्रण का पूर्णतः अभाव होने तथा प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-5817 दि0-08.10.2025 द्वारा श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धाराओं के अधीन लघु दण्ड के रूप में निन्दन (आरोप वर्ष 2025) एवं असंचयी प्रभाव से 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है।

2. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध दिनांक-14.11.2025 को श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी (Review petition) समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि उक्त घटना में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और न ही वे उक्त घटना के लिए कहीं से भी जिम्मेवार एवं दोषी हैं। वे अपने कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु हमेशा तत्पर रहे हैं एवं विभाग के द्वारा दिए गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन एवं मद्यनिषेध को शत-प्रतिशत सफल करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। उन्होंने अपने अर्जी में यह भी अंकित किया है कि उक्त घटना के दौरान वे जिला मुख्यालय में थे एवं घटना की सूचना प्राप्त होने पर वे अविलंब घटना स्थल पर पहुँचे तथा पुनः दल-बल के साथ उक्त अज्ञात व्यक्ति की खोज की गयी परन्तु अंधेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गये। घटना के दौरान उक्त चेकपोस्ट जवान श्री राजेश सिंह को काफी चोट आयी थी। जिनका ईलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। ज्ञातव्य हो कि प्रभारी पदाधिकारी भागीपट्टी चेकपोस्ट श्री साकेत कुमार एवं उनके दल के द्वारा राईफल छिने जाने के उपरांत घटना स्थल के आस-पास काफी दूर तक उक्त राईफल एवं उक्त अज्ञात मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति को खोजा गया परन्तु उसका पता नहीं चल सका। इसके अतिरिक्त कुचायकोट के थानाध्यक्ष एवं पुलिस उपाधीक्षक सदर, गोपालगंज के द्वारा घटना स्थल के आस-पास तथा काफी दूर तक सड़क के आस-पास राईफल की भी खोज-बीन की गयी लेकिन राईफल की बरामदगी नहीं हो पायी। उक्त अज्ञात मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति के संबंध में कुचायकोट थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गयी है। उक्त सैप जवान के द्वारा राईफल छिने जाने के मामले में संबंधित जवान ही दोषी है, जिसके कारण उक्त राईफल छिनाया। संबंधित सैप जवान श्री राजेश्वर सिंह (सैप संख्या-3126) के पदस्थापन का जिला भोजपुर होने के कारण इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक, भोजपुर को भी संसूचित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, भोजपुर के द्वारा इस संबंध में कोर्ट ऑफ इन्क्वॉयरी भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि पुनर्विलोकन अर्जी में आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार द्वारा कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है। उनके द्वारा पुनः उन्ही तथ्यों को दुहराया गया है जिसका विचारण पूर्व में अनुशासनिक

प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है। पूर्व में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की पूर्ण समीक्षोपरांत ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उन्हें दिनांक-31.07.2025 को कुर्म टोला, जलालपुर रोड, थाना-जिला कुचायकोट, गोपालगंज में जाँच के क्रम में सैप जवान का इंसान राईफल लेकर एक मोटर साईकिल के भाग जाने, कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर नियंत्रण का पूर्णतः अभाव होने तथा प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण व निरीक्षण नहीं किये जाने के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या-5817 दि0-08.10.2025 द्वारा श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धाराओं के अधीन लघु दण्ड के रूप में निन्दन (आरोप वर्ष 2025) एवं असंचयी प्रभाव से 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित करने का निर्णय लिया गया था। इस घटना के संबंध में उपायुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा-सह-सारण प्रमंडल के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक, मद्यनिषेध, गोपालगंज का अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर नियंत्रण का पूर्णतः अभाव है। स्पष्टतः उनके द्वारा समूचित रूप से मद्यनिषेध का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं किया गया जिसके कारण जिले में इस तरह की घटना बार-बार घटित हुई है।

4. इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागीय बैठक में आरोपी पदाधिकारी श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध को औचक निरीक्षण करने हेतु निदेशित करने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं किया जाना, अभियोग पंजी संधारित नहीं पाया जाना उनकी लापरवाही को दर्शाता है। कम बल से चेकपोस्ट पर जाँच करने के कारण जिले में दो बड़ी घटनाएँ घटित हुई हैं, जो आरोपी पदाधिकारी श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज की कर्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक चूक को दर्शाता है। विभागीय स्तर पर आहुत की गयी विभिन्न बैठकों में भी निदेश दिया गया है कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ वाहनों की सघन जाँच एवं जब्ती में वृद्धि के साथ कार्यकलाप में सुधार लाया जाय। चेकपोस्ट पर चौबीसो घंटे सभी दिन वाहन जाँच अभियान चलाने एवं उपलब्ध संसाधनों ड्रोन/स्नीफर डॉग/हैन्ड हेल्ड स्कैनर आदि का समुचित उपयोग किया जाय। सभी अधीक्षक/सहायक आयुक्त को लगातार निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का भी निदेश दिया गया था।

5. दिनांक-12.08.2025 को आहुत विभागीय बैठक में भी बलथरी चेकपोस्ट के कार्यकलाप से असंतोष व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गयी थी तथा दिनांक-29.07.2025 को आयुक्त उत्पाद की अध्यक्षता में आहुत बैठक में अधीक्षक गोपालगंज को अवैध शराब तस्करी एवं भण्डारण को लेकर विशेष सक्रियता बरतने एवं आसूचना संग्रहण कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेशों के उपरांत भी गोपालगंज जिला में लगातार अप्रिय घटनाएँ घटित हुई हैं, जो आरोपी पदाधिकारी श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों पर समुचित नियंत्रण नहीं रख पाना तथा उनके द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किया जाना दर्शाता है। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षोपरांत श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-5817 दि0-08.10.2025 द्वारा अधिरोपित लघु दण्ड के रूप में निन्दन (आरोप वर्ष 2025) एवं संसूचित 03 वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड के विरुद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया एवं उसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

6

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अमृतेश कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुये विभागीय अधिसूचना संख्या-5817 दि0-08.10.2025 द्वारा अधिरोपित लघु दण्ड के रूप में निन्दन (आरोप वर्ष 2025) एवं 03 वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के दण्ड को यथावत बरकरार रखा जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-8/आ0 (राज0 उ0)-2-41/2025-...../

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-8/आ0 (राज0 उ0)-2-41/2025-...../

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-31.08.26

ज्ञापांक-8/आ0 (राज0 उ0)-2-41/2025-5446/

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल, छपरा/ श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा-05 एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अमृतेश कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव